Legal Cell E-Mail:- legalicds@gmail.com

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांकः एफ15(6)(13)/विधि/आईसीडीएस/2013 जयपुर दिनांकः

समस्त प्रभारी अधिकारी (वाद) मुख्यालय,
समस्त उप निदेशक, मबावि विभाग,
समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान।

विषयः– नवनियुक्त अतिरिक्त राजकीय कौउंसिल का वकालतनामा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में पेश करवाकर प्रभावी पैरवी करवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि तत्कालीन अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता विशालराज मेहता को विधि विभाग के आदेश दिनांक 25.02.2019 से कार्यमुक्त किया जा चुका है। विधि विभाग के आदेश दिनांक 06.03.2019 के द्वारा (प्रति संलग्न) के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में श्रीमती वंदना भंसाली/श्री अनिल बिस्सा, अति. राजकीय कौउंसिल को महिला एवं बाल विकास विभाग (समेकित बाल विकास सेवाएं) आवंटित किये जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में विभाग के जिन प्रकरणो में अति. गर्वनमेंट कौउंसिल पैरवी हेतु अधिकृत है, उन समस्त प्रकरणों में संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी के दायित्वों के अनुसार प्रकरणों में नियत दिनांक से पूर्व ही याचिका/अपील जिनकी अंतिम संख्या सम(0, 2, 4, 6, 8) है उनमें श्रीमती वंदना भंसाली, एडि. गर्वनमेंट काउसिंल व याचिका/अपील जिनकी अंतिम संख्या विषम(1, 3, 5, 7, 9) है उनमें श्री अनिल बिस्सा, एडि. गर्वनमेंट काउसिंल से सम्पर्क कर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में वकालतनामा पेश करवाकर प्रभावी पैरवी आदि की कार्यवाही करावें। उदाहरण स्वरूप याचिका संख्या 17382/2018 होने पर उसमें याचिका की अंतिम संख्या 2 सम है इसलिए उसमें श्रीमती वन्दना भंसाली तथा याचिका संख्या 18969/2018 होने पर उसमें याचिका की अंतिम संख्या 9 विषम है इसलिए उसमें श्री अनिल बिस्सा द्वारा पैरवी करवाई जावे। सुविधा हेतु लाईटस वेबसाईट पर उपलब्ध तत्कालीन अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता श्री विशालराज मेहता को आवंटित प्रकरणों की सूची संलग्न है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ15/(6)/(13)/विधि/आईसीडीएस/2013 75274-76 जयपुर दिनांकः 10/4/19

प्रतिलिपिः

1. श्रीमती वंदना भंसाली, अति. गर्वनमेंट कौउंसिल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. श्री अनिल बिस्सा, अति. गर्वनमेंट कौउंसिल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

उप विधि परामर्शी
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर